

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/20/2011-अ.भा.से.-1

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 26 मार्च, 2018

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ओडिसा और बिहार राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा **श्री मनीष कुमार वर्मा, आईएएस (ओआर:2000)** के ओडिसा संवर्ग से बिहार संवर्ग में, विशेष मामले के रूप में, नीति में छूट देकर 23.03.2018 से एक और वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के विस्तार के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी (नई दिल्ली)